33

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3946–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–11–2015 पारित द्वारा अपर तहसीलदार, मुरार प्रकरण कमांक 5/15–16/अ–16.

रामसिंह पुत्र भोपू
निवासी ग्राम खेरिया पदमपुर
तहसील व जिला ग्वालियर ..... आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन
2– अपर तहसीलदार वृत्त मुरार .....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती नीना पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/1/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार, मुरार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, मुरार द्वारा प्रकरण कमांक 25/14–15/172 में दिनांक 19–11–2015 को आदेश पारित मुरार स्थित सर्वे कमांक 130 रकबा 0.460 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 134/1 रकबा 0.421 एवं सर्वे कमांक 142 रकबा 0.397 हेक्टेयर भूमि पर आवेदक द्वारा डायवर्सन के नियमों का पालन नहीं करने के कारण आवेदक से बाजारू मूल्य का 2 प्रतिशत राशि 6,39,000/– रूपये अर्थदण्ड वसूली हेतु अपर तहसीलदार, मुरार को आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 5/15–16/अ–16 दर्ज कर दिनांक 30–11–15 को आदेशिका में उल्लिखित किया गया कि प्रकरण पेश । मॉग पत्र

प्राप्त । अनावेदक उपस्थित नहीं । भूमि को मूल स्वरूप में लाने हेतु पत्र जारी हो । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा कोई प्लाट काटकर अवैध कॉलौनी विकसित नहीं की गई है, फिर भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 172 (5) का उल्लंघन होना मान्य करते हुए आदेश पारित किया गया है, जबकि अवैध कॉलौनी के संबंध में आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट संलग्न ही नहीं है । यह भी कहा गया कि मांग पत्र की सूचना पत्र की तामीली चस्पा से किये जाने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, फिर भी चस्पा से तामीली कराया गया है, जो विधिसंगत कार्यवाही नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को बिना सुने मांग पत्र जारी करने में अवैधानिकता की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा तामीली नियमों का पालन नहीं कर एकपक्षीय आदेश पारित करने में भूल की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, और न ही आदेश पत्रिका में आवेदक को सूचना दिये जाने का कोई उल्लेख है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अर्थदण्ड अधिरोपित करने के आदेश देने में उचित कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में कार्यवाही की जा रही है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी अर्थदण्ड की वसूली हेतु जारी सूचना पत्र के विरूद्ध प्रस्तुत की गई । अर्थदण्ड की वसूली हेतु जारी सूचना पत्र के संबंध में इस न्यायालय द्वारा आवेदक को कोई राहत नहीं दी जा सकती है । आवेदक को चाहिए

कि वह मूल आदेश के विरूद्ध विधि अनुसार उपचार प्राप्त करे । दर्शित परिस्थितियों में तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार अपर तहसीलदार, मुरार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर